न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 294/2026

अनवान : –

1. सोहनलाल पुत्र रुधाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम्

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. मदनलाल पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
3. मैना देवी पत्नि मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 29/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन. तहसील नोहर के खाता सं. 151/151 के प.न. 396/440 मु.न. 66 के किला नं. 4 की 0.2530 हैक्टर, 5/1 की 0.0260 हैक्टर, 5/2 की 0.2270 हैक्टर भूमि, 6/1 की 0.0260 हैक्टर, 6/2 की 0.2270 हैक्टर भूमि, 7 की 0.2530 हैक्टर, 13/2 की 0.1260 हैक्टर भूमि, 14 की 0.2530 हैक्टर, 15/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला 15/2की 0.2280 हैक्टेर, 16/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला 16/2 की 0.2280 हैक्टेर, 17,18, 23, 24 की 1. 0120 हैक्टर, भूमि 25/1 की 0.0250 हैक्टर गै.मु. खाला, 25/2 की 0.2280 हैक्टर तादादी 3. 1620 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी सयुक्त तौर से 1265/3162 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 10 डीपीएन. के खाता सं. 124/117 की कुल तादादी 2.5300 हैक्टर भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार थे।

कृषि भूमि रोही मौजा चक 10 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 158/70 के प. न. 400/439 मु.न. 39 के किला नं. 16 ता 25 की कुल तादादी 2.5300 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त कृषि भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादी दादा के नाम दर्ज थी तथा उनकी फौतदगी के वाद भूमि के उनके पुत्रो ने बाहमी बंटवारा करके अलग–अलग चको की भूमि को काश्त करने गये। लेकिन नामान्तरण समस्त चको में हिस्सा दर्ज हो गया है तथा उपरोक्त कृषि भूमि रोही मौजा चक 14 डीपीएन. तहसील नोहर के खाता सं. 151/151 की कुल तादादी 3.1620 हैक्टर भूमि में से वादी के नाम दर्ज 1265/3162 हिस्सा

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि को प्रतिवादी सं. 1 ता 3 काश्त करते है। इसी प्रकार से कृषि भूमि रोही मौजा चक 10 डी.पी.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 158/70 कुल तादादी 2.5300 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज भूमि को वादी काश्त करता आ रहा है एव रोही मौजा चक 10 डीपीएन. के खाता सं. 124/117 के प.न. 400/439 मु.न. 39 के किला नं. 11 ता 15 की 1.2650 हैक्टर भूमि वादी काश्त करता है एवं प.न. 401/439 मु.न. 38 के किला नं. 15 ता 17 व 24 व 25 की 1.2560 हैक्टर भूमि के प्रतिवादी सं. 1 का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/5 हिस्सा काश्त करते है इसलिए वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है ताकि पूर्व के समय से बाहमी बंटवारा हुआ उसके अनुसार वाद भूमि दर्ज करवाना चाहते है। वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त भूमि मुताबिक कब्ज के अनुसार दर्ज करवाना चाहते है जो निम्न प्रकार से है रोही मौजा चक 14 डीपीएन. तहसील नोहर के खाता सं. 151/151 की कुल तादादी 3.1620 हैक्टर भूमि में से वादी के नाम दर्ज 1265/3162 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी सं. 1 का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/5 हिस्सा खातेदार काश्तकार रहेगा उक्त खाता से वादी का नाम कलमजन किया जावे एवं एवं रोही भीजा चक 10 डीपीएन के खाता सं. 124/117 के प.न. 401/430 मु.न. 38 के किला नं. 15 ता 17 व 24 व 25 की 1.2560 हैक्टर भूमि जो वादी के नाम दर्ज जिसमे प्रतिवादी सं 1 का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/5 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार रहेगे। एवं रोही मौजा चक 10 डीपीएन के खाता सं. 158/70 कुल तादादी 2.5300 हेक्टर भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 के नाम दर्ज का वादी अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन करवापाने का अधिकारी है एवं रोही मौजा चक 10 डीपीएन. के खाता सं. 124/117 के प.न. 400/439 मु.न. 39 के किला नं. 11 ता 15 की 1.2650 हैक्टर भूमि वादी के यथावत रहेगी इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को कोई ऐतराज

नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी राजीनामा कर रखा है एवं मुताबिक राजीनामा ही काबिज एवं कब्जा के मुताबिक वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जा चुका है अर्थात वाद भूमि बाबत किसी को कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि के वादी व प्रतिवादीगण खातदेार काश्तकार है। वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एवं वाद भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने बाहमी राजीनामा कर रखा है एवं मुताबिक राजीनामा ही काबिज एवं कब्जा के मुताबिक वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन. तहसील नोहर के खाता सं. 151/151 की कुल तादादी 3.1620 हैक्टर भूमि में से वादी के नाम दर्ज 1265/3162 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 को 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 को 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से वादी का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा चक 10 डीपीएन. के खाता सं. 124/117 के प.न. 401/439 मु न. 38 के किला नं.

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

15 ता 17 व 24 व 25 की 1.2560 हैक्टर भूमि जो वादी के नाम दर्ज भूमि है मे प्रतिवादी सं. 1 को 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 को 2/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 को 1/5 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 10 डीपीएन. के खाता सं. 158/70 कुल तादादी 2.5300 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाता है एव रोही मौजा चक 10 डीपीएन. के खाता सं. 124/117 के प.न. 400/439 मु.न. 39 के किला नं. 11 ता 15 की 1.2650 हैक्टर भूमि वादी के यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत/स्थानान्तरित करते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 294 / 2026

अनवान : –

1. सोहनलाल पुत्र रुधाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. मदनलाल पुत्र मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
3. मैना देवी पत्नि मुन्शीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रामगढ़ तहसील नोहर
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 294 सन 2026 निर्णय दिनांक 29/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री कुलदीप सिंह खुडिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन. तहसील नोहर के खाता सं. 151 / 151 की कुल तादादी 3.1620 हैक्टर भूमि में से वादी के नाम दर्ज 1265 / 3162 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को 2 / 5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 को 2 / 5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 को 1 / 5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से वादी का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा चक 10 डीपीएन. के खाता सं. 124 / 117 के प.न. 401 / 439 मु न. 38 के किला नं. 15 ता 17 व 24 व 25 की 1.2560 हैक्टर भूमि जो वादी के नाम दर्ज भूमि है मे प्रतिवादी सं. 1 को 2 / 5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 को 2 / 5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 को 1 / 5 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक 10 डीपीएन. के खाता सं. 158 / 70 कुल तादादी 2.5300 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का नाम कलमजन किया जाता है एव रोही मौजा चक 10 डीपीएन. के खाता सं. 124 / 117 के प.न. 400 / 439 मु.न. 39 के किला नं. 11 ता 15 की 1.2650 हैक्टर भूमि वादी के यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत / स्थानान्तरित करते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....29/05/26.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर